

पाठ 14

जनजातीय समाज

आइये सीखें

- जनजातियाँ क्या हैं?
- जनजातीय समाज में संगठन।
- जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जनजीवन।
- संविधान में जनजातियों के लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं?

हमारे देश में कई जातियों तथा धर्मों के लोग निवास करते हैं। इनमें से कुछ वनांचलों में रहते हैं। इन लोगों की अपनी जीवन शैली, भाषा, संस्कृति तथा परंपराएँ होती हैं। नगरीय समाज से इनका सम्पर्क सीमित हद तक होता है। सुदूर जंगलों में इनका निवास होने से तथा विशिष्ट जीवन शैली के कारण इन्हें आदिवासी, बनवासी, जनजाति, गिरिजन या अन्य जातियों के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी शब्द से आशय, संबंधित स्थान के मूल निवासी से है।

जनजातियों की प्रमुख विशेषताएँ

1. एक जनजाति एक निश्चित भू-भाग में निवास करती है।
2. इनकी प्रायः अपनी भाषा (बोली) होती है।
3. एक जनजाति के सदस्यों की अपनी संस्कृति रहन-सहन व जीवन शैली होती है। एक जनजाति के सदस्य अपनी संस्कृति के नियमों का पालन करते हैं।
4. एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह सम्बन्ध बनाते हैं।

संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की कल्पना की थी। अतः समाज के ऐसे वर्ग जो अपेक्षाकृत कम प्रगति कर पाये थे या पिछड़े थे उनके लिये संविधान में विशेष प्रावधान किये गये। आदिवासी या जनजातियाँ भी समाज के अन्य वर्गों की तुलना में पिछड़े रह जाने के कारण उनके लिये भी संविधान में विशेष प्रावधान किये गये हैं। प्रत्येक राज्य में कौन से आदिवासी या जनजाति वर्ग इन विशेष प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे यह संविधान में स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिये इन जनजातियों की अनुसूची तैयार कर संविधान में शामिल की गई हैं। अतः इन्हें अनुसूचित जनजातियाँ कहा जाता है।

केवल वे जनजातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ कहलाती हैं, जो सरकार द्वारा तैयार की गई संविधान की अनुसूची में सम्मिलित हैं।

जनजातीय समाज में संगठन

समाज चाहे आदिम हो या आधुनिक, प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है। समाज का अपना संगठन होता है, जिसके कारण समाज के सदस्य एकजुट रहते हैं।

सामाजिक संगठन का तात्पर्य है- “सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखना।”

जनजातियों में सामाजिक संगठन के अंतर्गत नातेदारी, विवाह, परिवार, वंश समूह, गोत्र आदि का विशेष महत्व है।

जनजातियों में उनके निवास की प्रकृति एवं स्थानीय आधार पर खानाबदोशी (घुमन्तू) समूह, जनजाति आदि भागों में बाँटा जा सकता है। जनजातियों के कुछ सामाजिक संगठन इस प्रकार हैं-

(1) गोत्र संगठन- जनजाति का कोई न कोई गोत्र अवश्य होता है तथा एक गोत्र के सदस्य आपस में भाई-बहन माने जाते हैं। एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते हैं।

(2) खानाबदोशी समूह- इन समूहों के लोग घुमक्कड़ होते हैं तथा एक निश्चित भू-भाग में निरंतर घूमते रहते हैं। इनका जीवन कठोर होता है।


ऐसे प्रत्येक समाज में कई छोटे-छोटे सामाजिक समूह होते हैं, जो मनुष्यों के आपसी संबंधों के फलस्वरूप बनते हैं। ये समूह अलग-अलग होते हुए भी संगठित रहते हैं। ऐसे संगठित सामाजिक स्वरूप को ‘सामाजिक संगठन’ कहते हैं।

जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जनजीवन

आर्थिक जनजीवन

जनजातियों की अर्थव्यवस्था उन्नत समाज की अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है। इनकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं। ये अपनी सीमित आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। ये जनजातियाँ कृषि, वन उपज संग्रह तथा मजदूरी करके अपना जीवनयापन करती हैं। इनकी काफी बड़ी संख्या वन क्षेत्रों में निवास करती है। सरकारी नीतियों व प्रयासों के कारण इन जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

उद्योग-धंधों में विस्तार के कारण जनजाति के लोग रोजगार के लिये नगरों व शहरों की ओर आकर्षित हुए हैं तथा उत्खनन, निर्माण कार्य, परिवहन, व्यापार और अन्य सेवाओं में भागीदारी कर रहे हैं। उपरोक्त क्षेत्रों में कार्य करने से अर्थव्यवस्था को गति मिली है।



वनोपज संग्रह

मध्यप्रदेश में जनजातियों में विशेषकर गोंड, एवं भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनकी जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन वनोपज संग्रह है। वनोपज संग्रहण में तेंदू, अचार, हरा, बहेड़ा, महुआ, सालबीज आदि वनोपज के साथ कंदमूल व शहद का संग्रहण करना गोंडी एवं भीली जनजातियों का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है। कुछ जनजाति विशेषकर गोंड एवं बैगा वनौषधि से इलाज करने का भी कार्य करते हैं। वनोपज एकत्र करने के अतिरिक्त बाँस की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण, बढ़ीगिरी, लोहे के औजार बनाना, बोझा ढोने, कृषि व कृषि मजदूरी का कार्य भी करते हैं।

सामाजिक जनजीवन

जनजाति के लोग प्रकृति की गोद में सरल जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ जातियाँ खानाबदेश हैं। उनकी सरल जीवनशैली में रीति-रिवाजों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

जनजातीय समाज की अपनी परम्पराएँ और मान्यताएँ होती हैं। इन्हीं के अनुसार ये अपने बच्चों के नामकरण व विवाह संस्कार करते हैं। इनके कुछ परिवारों में पिता तथा कुछ परिवारों में (दक्षिण भारत की कुछ जनजातियों में) माता मुखिया होती हैं।


जनजातीय समाजों में पुत्री का जन्म भार स्वरूप नहीं माना जाता। उनमें परम्पराएं, रीति-रिवाज, सामाजिक निषेध आदि बातों का पालन किया जाता है। भील लोग बच्चे के जन्म के छठे दिन छटी मनाते हैं। गोंडी जनजाति में बच्चे के जन्म पश्चात रात्रि में महिलाएँ लोक गीत का गायन करती हैं तथा ये मृतक का विधिवत अग्नि संस्कार करते हैं; अग्नि-संस्कार के तीसरे दिन मुण्डन, घर द्वार की साफ-सफाई व स्नान सामूहिक तौर पर किया जाता है।

सांस्कृतिक जनजीवन

जनजातियों की अपनी अलग पहचान व संस्कृति है। संगीत और नृत्य उनकी संस्कृति के अभिन्न

आंग है। कृषि कार्यों, त्योहारों आदि के अवसरों पर गाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गीत होते हैं। संस्कृति से संबंधित नियमों की अवहेलना करने पर कठोर सामाजिक दंड दिया जाता है। जनजाति के मुखिया व बड़े बुजुर्ग अपने सांस्कृतिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करते हैं। ये दंडों का निर्धारण भी करते हैं। निवास और व्यवसायों में समयगत परिवर्तन के कारण वर्तमान में इनकी संस्कृति में बदलाव भी होने लगा है।

भील जनजाति में होली के समय मनाया जाने वाला उत्सव ‘भगोरिया हाट’ का विशेष महत्व होता है। भगोरिया, घेड़िया आदि नृत्य प्रमुख होते हैं। इनके भित्तिचित्रों में पिठौरा-शैली के चित्र बहुत लोकप्रिय हैं।



गुदना



पिठौरा शैली का चित्र

आदिम जनजातियों के लोगों में अपने शरीर पर शुभचिह्न, पशु पक्षियों और गहनों के चित्र, नाम इत्यादि का शरीर पर स्थायी अंकन करवा लेने की प्रथा लोकप्रिय है। इस अंकन को ‘गुदना’ कहा जाता है। जनजातियों के लोगों का विश्वास होता है कि गुदना उनके जीवन भर के आभूषण हैं।

संविधान में जनजातीय कल्याण के लिए कुछ व्यवस्थाएँ

जनजातीय विकास के लिए हमारे संविधान निर्माता भी सजग रहे एवं जनजातियों के विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान किये हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

1. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
2. सार्वजनिक स्थलों, दुकानों, सड़कों, कुंआ, तालाबों आदि के प्रयोग से कोई किसी को नहीं रोकेगा।
3. व्यवसायों को स्वतंत्र रूप से करने की व्यवस्था की गई है।
4. शिक्षण संस्थाओं में धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जावेगा।
5. लोक सभा, विधान सभाओं, पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में इन वर्गों के लिये स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
6. संघ एवं राज्य सरकारों की सेवाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

संविधान की मूल भावना में यह है कि इन वर्गों के कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समर्पित भाव से किया जावेगा, ताकि ऐसे समाज की स्थापना हो सके, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने पूर्ण सामर्थ्य से उसके व्यक्तित्व का विकास हो।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए-

- (अ) आदिवासी शब्द का आशय बताइए।
- (ब) जनजाति किसे कहते हैं?
- (स) मध्यप्रदेश की कोई दो जनजातियों के नाम लिखिए।
- (द) सामाजिक संगठन किसे कहते हैं?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

- (अ) जनजातियों की कोई चार विशेषताएँ बताइये।
- (ब) भारतीय संविधान में जनजातियों के विकास के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं? लिखिए।
- (स) जनजातियों के आर्थिक या सामाजिक जीवन पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए।
- (द) जनजातियों के सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए।

3. स्थित स्थानों की पूर्ति कीजिए

- (अ) 'भगोरिया' जनजाति में लोकप्रिय है।
- (ब) जनजातीय महिलाएँ को जीवन भर का आभूषण मानती हैं।
- (स) लोक सभा, विधान सभाओं एवं स्थानीय निकायों में जनजातियों के लिये दिया गया है।
- (द) पिठौरा जनजातियों का भित्ति चित्र है।

प्रोजेक्ट कार्य

- किन्हीं चार आदिवासी बाहुल्य जिलों के नाम लिखें एवं वहाँ निवास करने वाली एक-एक जनजाति का नाम लिखें।
- किसी एक जनजाति के सांस्कृतिक जीवन की विशेषताओं का चार्ट बनाइए।



पाठ 15

हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और पहचान

आइए सीखें

- हमारे राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्हों, पुष्प, पशु, पक्षी की पहचान व उनके महत्व को जानना।
- राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत तथा उनके सम्मान संबंधी निर्देश।
- राष्ट्रध्वज और उसका सम्मान कैसे करें?

सभी नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है। राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान दर्शाकर राष्ट्रीय गौरव व गरिमा को अपनी पहचान बनाकर इसे व्यक्त किया जाता है।

हमारा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु व राष्ट्रीय पुष्प हमारी राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता के प्रतीक हैं।

राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।

राष्ट्रध्वज

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में तीन आँड़ी पट्टियाँ हैं। इनमें सबसे ऊपर की पट्टी में गहरा केसरिया रंग, बीच की पट्टी में सफेद तथा नीचे वाली पट्टी में हरा रंग होता है।


ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। इसका प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है।

ध्वज में स्थापित तीन रंग (1) केसरिया त्याग, शौर्य व बलिदान का प्रतीक है। यह रंग स्वतंत्रता संघर्ष में अपना जीवन न्यौछावर करने वालों के बलिदान और देश भक्ति की निरंतर याद दिलाता है।

(2) ध्वज की श्वेत पट्टी सत्य व शांति का प्रतीक है। यह रंग हमें सच्चा, शुद्ध व सरल बनने के लिये प्रेरित करता है।

(3) गहरे हरे रंग की पट्टी जीवन, उत्पादकता और खुशहाली को दर्शाती है। हरा रंग विश्वास व दृढ़ता का भी प्रतीक है।

राष्ट्रध्वज में श्वेत पट्टी के मध्य गहरे नीले रंग से अंकित चक्र का ऐतिहासिक महत्व है। सारनाथ में समाट अशोक द्वारा बनवाया गया एक स्तंभ है। जिसे इस स्थान पर भगवान बुद्ध द्वारा दिये गये प्रथम उपदेश की स्मृति में बनवाया गया था। अशोक के स्तंभ में यह चक्र धर्म का प्रतीक है। चक्र गति, प्रगति और उत्साह को इंगित करता है। यह हमें धर्म एवं सच्चाई के रास्ते पर चलने और देश को उन्नति और



समृद्धि की ओर ले जाने के लिए भी प्रेरित करता है।

जब भी राष्ट्रध्वज फहराया जाए, इसे आदर मिलना चाहिए। भारतीय लोगों द्वारा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन करना अपनी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना को दर्शाता है।

राष्ट्रध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से एक है।

आइए, अब हम राष्ट्रध्वज फहराने के नियमों को जानें-

- ❖ जब राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, तब हमें इसके सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए।
- ❖ ध्वज की केसरिया रंग की पट्टी सदैव ऊपर की ओर रहना चाहिए।
- ❖ प्रतिदिन महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए तथा सूर्यस्त से पूर्व उतार लेना चाहिए।
- ❖ अब हम राष्ट्रीय पर्वों पर अपने घरों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं।
- ❖ राष्ट्रध्वज का प्रयोग सजावट के लिए नहीं करना चाहिए।

भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है।

राष्ट्रीय चिन्ह

यह चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस चिन्ह में हमें तीन शेर दिखाई देते हैं, वास्तव में ये संख्या में चार हैं। चौथा शेर पीछे की ओर जुड़ा होने के कारण हमें केवल तीन ही दिखते हैं। शेरों के नीचे की चौकी में बाई ओर एक घोड़ा, दाई ओर एक बैल और बीच में एक चक्र दिखाई देता है। नीचे देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' शब्द लिखा है। इसका अर्थ है केवल सत्य की ही विजय होती है।

चक्र धर्म, शेर साहस, ऐश्वर्य व शक्ति, घोड़ा ऊर्जा और वेग, बैल मेहनत और दृढ़ता का प्रतीक है।

देश के प्रत्येक नागरिक को उपरोक्त गुणों को अपने व्यवहार और चरित्र में दर्शने का संकल्प करना चाहिए।

राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार की मोहर (मुद्रा) है। हम इस चिन्ह को नोटों, सिक्कों, सरकारी आदेशों, विज्ञप्तियों आदि पर अंकित देखते हैं।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय चिन्ह

राष्ट्रगान

हमारे राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। इस गान में हमारी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा की भावना प्रकट की गई है। राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान हमारे मन में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करता है।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे

भारत-भाग्य-विधाता

पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग

विंध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा

उच्छल-जलधि-तरंग

तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मागे,

गाहे तव जय-गाथा ।

जन-गण-मंगल-दायक जय हे

भारत-भाग्य-विधाता

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे ।

राष्ट्रगान हमारी मातृभूमि की प्रशंसा का गीत है। यह हमें सहनशीलता व राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। इसके गायन अथवा धुन बजने के समय हमें -

- सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए।

- गाते समय चलना अथवा बातें नहीं करना चाहिए।
- समूह में गाते समय एक स्वर व जोश से गाना चाहिए।
- राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेण्ड है।

राष्ट्रीय गीत

इस गीत की रचना बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने की है। इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश के नौजवानों में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रज्वलित की थी। अतः इसे भी राष्ट्रगान के समान सम्मान दिया गया है; तथा इसे ‘जनगणमन....’ के समान मान्यता प्राप्त है।

वन्दे मातरम् **राष्ट्रीय गीत** इस प्रकार है-

वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।
 सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
 शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्॥
 शुभ्रज्योत्स्नाम् पुलकित यामिनीम्।
 फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्॥
 सुहासिनीम् सुमधुरभाषणीम्।
 सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्॥

राष्ट्रीय पुष्प

कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल कीचड़ में खिलता है, पर यह उससे ऊपर रहता है। यह इस बात का प्रतीक है कि बुराई के बीच रहकर भी अच्छा बना जा सकता है। प्राचीनकाल से कमल को भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना गया है।



राष्ट्रीय पुष्प-कमल



राष्ट्रीय पक्षी

सुन्दर, आकर्षक मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इस पक्षी का भारतीय कथाओं, साहित्य और लोक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मोर का नृत्य (विशेषकर वर्षाकृतु में) देखने योग्य होता है। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। मोर को मारना दण्डनीय अपराध है।

राष्ट्रीय पक्षी-मोर

राष्ट्रीय पशु

शक्ति और शान का प्रतीक बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ अपनी दृढ़ता, स्फूर्ति और अपार शक्ति के लिए जाना जाता है। देश में बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में बाघ

परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक 27 बाघ अभ्यारण्य स्थापित किये गये हैं। बाघों का शिकार या उन्हें मारना दण्डनीय अपराध है।



राष्ट्रीय पशु-बाघ

मध्यप्रदेश राज्य के प्रतीक : राज्य चिन्ह या मुद्रा- राज्यपक्षी-दूधराज, राज्य का वृक्ष- बरगद।

- राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का हमें सम्मान करना चाहिए।
- राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु व राष्ट्रीय पुष्प हमारी राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता के प्रतीक है।
- ‘तिरंगा’ हमारा राष्ट्रीय ध्वज है।
- ‘जन-गण-मन...’ हमारा राष्ट्रगान है।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए-

- हमारे ‘राष्ट्रीय ध्वज’ में कौन-कौन से रंग हैं?
- ‘राष्ट्रीय ध्वज’ में अंकित चक्र किस बात का प्रतीक है?

स. ‘राष्ट्रगान’ की रचना किसने की थी?

द. ‘वन्दे मातरम्’ की रचना किसने की थी?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

अ. राष्ट्रध्वज फहराने के कौन-कौन से नियम हैं?

ब. ‘राष्ट्रगान’ कब गाया जाता है? इसे गाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

स. हमारे राष्ट्रीय पक्षी व पुष्प कौन-कौन से हैं? इनका वर्णन करें।

3. खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए

अ. राष्ट्रीय प्रतीकों का करना हमारा कर्तव्य है।

ब. राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है।

स. राष्ट्रध्वज के ऊपर की ओर की पट्टी का रंग होता है।

द. राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे शब्द अंकित है।

य. राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग सेकेण्ड है।

4. सही जोड़ी बनाइये-

अ

अ. राष्ट्रध्वज

ब. राष्ट्रगान

स. राष्ट्रीय गीत

द. राष्ट्रीय चिन्ह

य. राष्ट्रीय पशु

र. राष्ट्रीय पक्षी

ल. राष्ट्रीय पुष्प

ब

वन्देमातरम्.....

कमल

जनगणमन....

तिरंगा

अशोक स्तंभ

बाघ

मोर

प्रोजेक्ट कार्य

- राष्ट्रीय प्रतीकों एवं मध्यप्रदेश राज्य के प्रतीकों चित्रों का संग्रह कीजिए तथा उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएं।



पाठ 16


हमारा देश भारत

आइए सीखें

- एशिया में भारत की स्थिति और विस्तार को।
- भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं?
- भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन-कौन से हैं?
- भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है और मानचित्र में उनको दर्शाना।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल में इसे ‘भारत वर्ष’ के नाम से पुकारा जाता था। भारत तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में एक विशाल पर्वतमाला है जिसके द्वारा यह शेष एशिया महाद्वीप से अलग हो जाता है। अतः इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सांतवा बड़ा देश है। सन् 2011 में भारत की जनसंख्या एक अरब 21 करोड़ 5 लाख से अधिक है। यहां पर संसार की कुल जनसंख्या का लगभग 16.7 प्रतिशत भाग निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है।

एशिया में भारत की स्थिति और विस्तार



भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एशिया महाद्वीप में हमारे देश के कई पड़ोसी देश हैं। भारत के उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान है। पूर्व दिशा में बांग्लादेश और म्यांमार हैं। पश्चिम दिशा में पाकिस्तान व अफगानिस्तान तथा दक्षिण में श्रीलंका और मालद्वीव (हिन्द महासागर) स्थित हैं।

भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिन्द महासागर फैला हुआ है। तीन ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण भारत को प्रायद्वीप कहते हैं।



भारत : राजनैतिक

भारत के राजनैतिक मानचित्र को ध्यान से देखिए। भारत $8^{\circ}4'$., उत्तरी अक्षांश से $37^{\circ}6'$ उत्तरी अक्षांश तक फैला है। इसका देशान्तरीय विस्तार $68^{\circ} 7'$ पूर्वी देशान्तर से $97^{\circ} 25'$ पूर्वी देशान्तर तक है।

मानचित्र में भारत की अक्षांशीय एवं देशान्तरीय स्थिति को दर्शाया गया है।

भारत उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर क्षेत्र में तथा पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है।

भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी छोर जम्बू कश्मीर राज्य में है तथा इसका दक्षिण छोर तमिलनाडु में कन्याकुमारी में है। लेकिन देश का दक्षिण में अंतिम छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पाइंट है। भारत के पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है।

भारत के राज्य और केन्द्र-शासित क्षेत्र

भारत के 29 राज्य व 7 केन्द्र शासित क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में इन राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्र को ध्यान से देखिए। अपने प्रदेश के साथ पड़ोसी राज्यों के नामों की सूची बनाइए-

मेरे राज्य का नाम : _____

पड़ोसी राज्यों के नाम हैं :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

मानचित्र में भारत के राज्य और उसकी राजधानियाँ दी गई हैं। मानचित्र को ध्यान से देखिए और भारत के सभी राज्य और राजधानियों की तालिका अपनी कापी में बनाइए।

भारत के केन्द्र शासित प्रदेश

क्र.	केन्द्र शासित क्षेत्र	राजधानी
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	पोर्टब्लेयर
2.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
3.	दादर और नगर हवेली	सिलवासा
4.	दमन और दीव	दमन
5.	लक्षद्वीप	कवरत्ती
6.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली

उपरोक्त सभी केन्द्र शासित प्रदेश को मानचित्र में ढूँढ़िएँ।

भारत के उच्चावच और प्राकृतिक भू-भाग

हमारा देश बहुत बड़े भू-भाग में फैला हुआ है। यहाँ की भू-रचना सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं ऊँचे पर्वत, कहीं विशाल मैदान, कहीं पठारी भूमि तो कहीं मरुस्थल फैले हुए हैं। देश में नदियां तथा उसकी सहायक नदियाँ भी हैं।

प्राकृतिक भू-भाग के आधार पर भारत को पाँच प्रमुख प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं, जो निम्नानुसार हैं-

1. उत्तर का पर्वतीय भाग
2. उत्तर का विशाल मैदान
3. दक्षिण का पठार
4. पश्चिमी और पूर्वी घाट
5. तटीय मैदान एवं द्वीप समूह

1. उत्तर का विशाल पर्वतीय भाग

भारत के उत्तर में हिमालय और कराकोरम की अनेक ऊँची पहाड़ियों का समूह है जो लंबी शृंखलाओं के रूप में उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई। हिमालय पर्वत संसार की सबसे ऊँची पर्वतमालाएं हैं। यह उत्तर पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 3000 किलोमीटर पूर्वांचल में फैली हुई है। हिमालय पर्वत की तीन समानान्तर पर्वत श्रेणियाँ हैं-

- (1) हिमाद्रि (सर्वोच्च हिमालय)
- (2) हिमाचल (लघु हिमालय)
- (3) शिवालिक (बाह्य हिमालय)

हिमालय पर्वत श्रेणी की चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। हमारे देश में हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटी गॉडविन ऑस्ट्रिन (K_2) है जिसकी ऊँचाई 8611 मीटर है। जबकि संसार की सबसे ऊँची चोटी माउन्ट एवरेस्ट नेपाल में है जिसकी ऊँचाई 8848 मीटर है। लघु हिमालय में देवदार और चीड़ के वन हैं। श्रीनगर, शिमला, नैनीताल और दर्जिलिंग प्रमुख हिल स्टेशन हैं। इस भाग से सिन्धु, गंगा, यमुना, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदियां निकलती हैं।

2. उत्तर का विशाल मैदान

हिमालय पर्वत के दक्षिण में एवं दक्षिण के पठार के उत्तर में बहुत बड़ा भू-भाग पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। इस भाग को उत्तर का मैदान कहते हैं। यह देश का बहुत उपजाऊ भू-भाग है। इस मैदान में हिमालय से निकलने वाली सिन्धु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं। गर्मी में भी यह नदियाँ पानी से भरी रहती हैं। यह उपजाऊ मैदान है इसीलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पायी जाती है।

